

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

कार्यालय आदेश

क्रमांक:- 15619-55

दिनांक:- 15/1/16


समस्त जिलाधिकारी,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभी अधीनस्त जिला कार्यालयों एवं विभिन्न छात्रावासों में बेशी, अप्रचलित एवं अनुपयोगी सामानों के निस्तारण हेतु दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है—

1. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 11 के नियम 18 के अनुसार सर्वे समिति का गठन किया जाएगा जो निलामी से पूर्व सूची एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। उक्त समिति में लेखा सदस्य होना आवश्यक है।
2. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 11 के नियम 22 के अनुसार निलामी हेतु यदि वस्तुओं का मूल्य 5 लाख रुपये से कम मूल्य के सामानों के लिए क्षेत्रिय अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष, सम्बन्धित कार्यालय का सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मी, कोषाधिकारी/ सहायक या उप कोषाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित कोषालय का कर्मचारी जैसी भी स्थिति हो की समिति होगी।
3. 5 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के सामानों के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी(उक्त अधिकारी जिला कार्यालय द्वारा निलामी की तिथि निर्धारण एवं सूचित करने उपरान्त मुख्यालय से मनोनित किया जावेगा।  
लेखा सदस्य के रूप में सम्बन्धित जिला परिषद के वरिष्ठ लेखाधिकारी को मनोनित किया जावे।  
कार्यालय अध्यक्ष,  
कार्यालय का लेखाधिकारी/लेखाकर्मी  
कोषाधिकारी/ सहायक या उप कोषाधिकारी
4. निलामी हेतु लेखा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 10 लाख रुपये तक मूल्य के सामान हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की समयावधि 15 दिवस एवं 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सामान हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की समयावधि 20 दिवस होगी।
5. निलामी की कार्यवाही में कार्यालय में कार्यरत लेखाकर्मी की सहायता ली जावे।


copy to ACP for e-mail to all Districts.

6 दिनांक 18.01.2016 तक निलामी की तिथि से अवगत करावे ताकि तदानुसार मुख्यालय से कार्यवाही की जा सकें।

  
(अनुपमा शर्मा)  
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि

1. निजि सचिव, निदेशक, सान्याअवि, जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) सान्याअवि, जयपुर, राजस्थान।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय, सान्याअवि, जयपुर, राजस्थान।

  
वित्तीय सलाहकार